2023 | 64

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री उनाराम मेघवाल
निवासी कृष्णगंज
हाल मुकाम / पोस्ट मावल तहसील आबूरोड
जिला पाली।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** — मुकदमा नं. 06 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.03.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनांक 27.12.2022, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्व ग्रामदानी तेलपीखेडा पटवार हल्का कृष्णगंज तहसील व जिला सिरोही के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 264 / 06.04.2000, 261 / 15.03.2002 एवं नामान्तरकरण संख्या 226 / 12.12.1998 से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही, बैठक / निर्णय इत्यादि की समस्त पत्रावलियों की प्रमाणित से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को दिनांक 27.12.2022, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्व ग्रामदानी तेलपीखेडा पटवार हल्का कृष्णगंज तहसील व जिला सिरोही के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 264 / 06.04.2000, 261 / 15.03.2002 एवं नामान्तरकरण संख्या 226 / 12.12.1998 से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही, बैठक / निर्णय इत्यादि की समस्त पत्रावलियों की प्रमाणित से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही द्वारा सचिव ग्रामदान बोर्ड ग्राम कृष्णगंज / तेलपीखेडा / वाडेली जिला सिरोही को उपरोक्त सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु उपरोक्त सूचना अपीलांट को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेशित किया जाता है कि [illegible] द्वारा चाही गई समस्त सूचना [illegible] में संभव नही हो तो तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना [illegible] स्पेसीफिक आदेश पारित कर [illegible] करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम [illegible] (हस्ताक्षर) (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:18:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner